कक्षा 10 के छात्र/छात्राओं में सीखने की कठिनाइयों
(Learning difficulties) को दूर करने हेतु

प्रेरणा

Revision Notes

राजनीतिक विज्ञान

राज्य शिक्षा–शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना द्वारा विकसित

लोकतांत्रिक राजनीति

भाग–2

विषय सूची

अध्याय 1	लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी
अध्याय 2	सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली
अध्याय 3	लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष
अध्याय 4	लोकतंत्र की उपलब्धियाँ
अध्याय 5	लोकतंत्र की चुनौतियाँ

◆◆◆

पूर्व ज्ञान की समझ

लोकतंत्र क्या है?

लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासित शासन है– **अब्राहम लिंकन**

लोकतंत्र कितने प्रकार का

प्रत्यक्ष

सीधे तौर पर, एक जगह इकठ्ठे होकर शासन में लोग हिस्सेदार बनते हैं। यह वहीं संभव है जहाँ की जनसंख्या कम होती है। जैसे–स्विट्जरलैंड।

अप्रत्यक्ष

लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनते हैं।

लोकतंत्र अपने स्वरूप में कैसा हो सकता है?

संघीय व्यवस्था (स्वरूप)

जहाँ केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारें भी होती है।

एकात्मक व्यवस्था (स्वरूप)

जहाँ देश के लिए सिर्फ एक ही सरकार होती है।

भारत के संघात्मक व्यवस्था में कौन–कौन सी सरकारें होती है?

केन्द्र सरकार (देश के सभी राज्यों के लिए सरकार)

↓

राज्य सरकार (सिर्फ उस राज्य के लिए सरकार)

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के तहत स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों (नगर एवं गॉवों में रहने वालों) द्वारा चलाई जाने वाली सरकार

केन्द्र और राज्य में सरकार के अंग

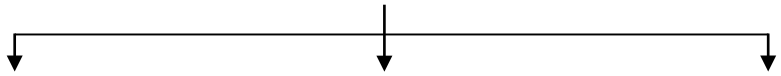

विधायिका	कार्यपालिका	न्यायपालिका
देश या राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था **केन्द्र में** – संसद (लोक सभा/राज्य सभा) **राज्य में** – विधान मंडल (विधान सभा एवं विधान परिषद्)	देश व राज्य में कानून को लागू कराने वाली संस्था **केन्द्र में –** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद्। **राज्य में –** राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	देश या राज्य में संविधान एवं कानून के अनुसार सरकार चले इसके लिए न्याय करना। **उच्चतम न्यायालय** – दिल्ली बिहार में पटना उच्च न्यायालय ।

सरकार के ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। इससे नियंत्रण और संतुलन बना रहता है।

◆◆◆

अध्याय–1

लेकतंत्र में सत्ता साझेदारी

लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी

क्या है?	• लोकतंत्र जनता का शासन है। वहाँ सत्ता यानी शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन की शक्ति का बँटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। • नागरिकों द्वारा सरकारी काम–काज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। उदाहरण – चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना इत्यादि।
क्यों जरूरी है? या लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?	• शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए। • सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव (जैसे जातीय, लैंगिक, भाषायी, सांप्रदायिकता) को कम करने के लिए। • राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए।

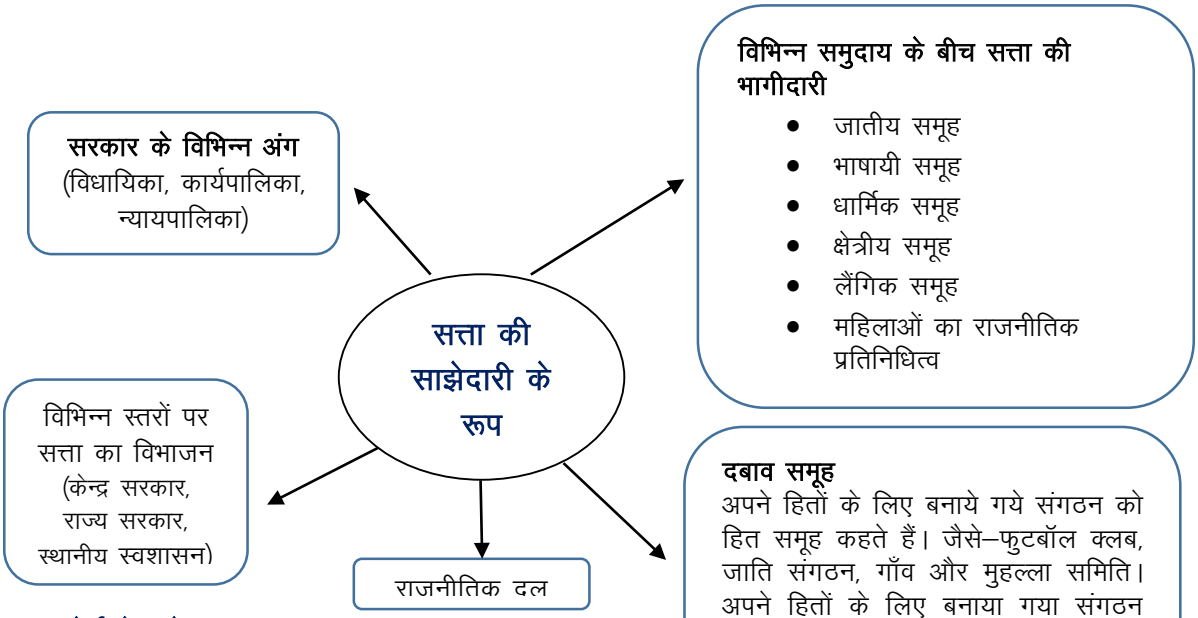

बोर्ड में पूछे गए प्रश्न

1. सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं?
2. सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है?

◆◆◆

अध्याय–2

सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली

सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली

संघात्मक व्यवस्था (दोहरी सरकार)

जहाँ सत्ता केन्द्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों (राज्यों) के बीच बँटी रहती है। उदाहरण–भारत, अमेरिका, कनाडा आदि।

एकात्मक व्यवस्था (इकहरी सरकार)

- जहाँ सत्ता केन्द्र सरकार में निहित, एवं
- शासन का एक ही स्तर होता है। उदाहरण – ब्रिटेन आदि।

संघात्मक व्यवस्था विशेषताएँ

दोहरी सरकार : केन्द्र सरकार, राज्य सरकार

- **लिखित संविधान**
- **शक्ति का बँटवारा :**
  - केन्द्र सूची (97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को)
  - राज्य सूची (66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को)
  - समवर्त्ती सूची (47 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र एवं राज्य को)
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका**
  - उच्चतम न्यायालय (दिल्ली में)
  - उच्च न्यायालय
  - जिला एवं सत्र न्यायालय
  - अनुमंडल न्यायालय
  - ग्राम कचहरी (सभी ग्राम पंचायत में)

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज व्यवस्था)

नगरीय		
नगर पंचायत	नगर परिषद	नगर निगम
नगर पंचायत के अंग : • अध्यक्ष • उपाध्यक्ष • कार्यपालक पदाधिकारी	**नगर परिषद् के अंग :** • नगर पार्षद • विभिन्न समितियाँ • अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष • कार्यपालक पदाधिकारी	**नगर निगम के अंग :** • महापौर एवं उपमहापौर • निगम परिषद • स्थानीय समिति • परामर्शदात्री समिति • नगर आयुक्त

ग्रामीण		
ग्राम पंचायत	**पंचायत समिति**	**जिला परिषद**
ग्राम पंचायत के अंग : • ग्राम सभा • मुखिया • ग्राम कचहरी • ग्राम रक्षा दल • ग्राम पंचायत सचिव	**पंचायत समिति के अंग :** • प्रमुख • उपप्रमुख • पंचायत समिति का सदस्य • प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	**जिला परिषद् के अंग :** • अध्यक्ष • उपाध्यक्ष • समितियाँ • उप विकास आयुक्त

स्थानीय स्वशासन : जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन उस क्षेत्र के लोगों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए स्थानीय स्वशासन कहलाता है।

ग्रामीण स्थानीय निकाय :

स्तर	निकाय का नाम	कार्यकाल	प्रधान/ प्रमुख
ग्राम	ग्राम पंचायत	5 वर्ष	मुखिया
प्रखण्ड	पंचायत समिति	5 वर्ष	प्रमुख
जिला	जिला परिषद	5 वर्ष	जिला परिषद का अध्यक्ष

शहरी स्थानीय निकाय

स्तर	निकाय का नाम	कार्यकाल	प्रधान/प्रमुख
कस्बा जनसंख्या : 12000–40,000	नगर पंचायत	5 वर्ष	नगर पंचायत अध्यक्ष
छोटा शहर जनसंख्या–40,000 – 2,00,000	नगर परिषद	5 वर्ष	नगर परिषद् अध्यक्ष/ मुख्य पार्षद्
बड़े शहर जनसंख्या– 2 लाख से अधिक	नगर निगम	5 वर्ष	महापौर या मेयर

स्थानीय निकाय के आय के स्रोत एवं कार्य

आय का स्रोत	कार्य
केन्द्र–राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान या अनुदान एवं विभिन्न प्रकार के कर। जैसे : जल कर, रौशनी कर, पथ–कर, मनोरंजन–कर, वाहन–कर, आवास–कर।	निकाय के लिए योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना, कृषि, शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण का विकास, सड़क निर्माण, रौशनी प्रबंधन, पीने का पानी एवं कर–निर्धारण।

नोट – शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय के क्षेत्र अलग–अलग हैं, लेकिन उनके अधिकार एवं कार्य एक जैसे हैं। सिर्फ प्रधानों के नाम अलग–अलग होते हैं।

बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल :

1. नगर पंचायत के प्रमुख अंग कौन–कौन है?
2. नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें।
3. ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें।
4. जिला परिषद् के तीन कार्य लिखें।
5. संघात्मक व्यवस्था /सरकार से क्या समझते हैं?

◆◆◆

अध्याय–3

लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धा और संघर्ष

प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष

प्रतिस्पर्द्धा
(सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा रखने वालों में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास।)

प्रतिस्पर्द्धा कैसे होती है?

(शासन या सरकार किस प्रकार चले एवं शासन में लोगों की भागीदारी कैसे हो, इस विषय में एक जैसी सोच एवं विचारधारा रखने वाले समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। ये राजनीति दल अपनी सोच एवं विचारधारा को उत्तम बताने के क्रम में सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

राजनीतिक दल कौन–कौन से कार्य करते हैं?

- नीति एवं कार्यक्रम बनाने का कार्य करते हैं।
- चुनाव में बहुमत प्राप्त करके शासन करते हैं।
- राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों को चुनाव घोषणा पत्र बनाकर जनता के बीच जाते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं।
- चुनाव में अलग–अलग राजनीतिक दल अपने विचारों से जनता को विकल्प देते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं।
- सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं।
- दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाते हैं।
- आपदा के समय अर्थात् भूकम्प एवं बाढ़ के समय जनता के साथ सहयोग करते हैं।

संघर्ष
समूह अथवा संगठन बनाकर मांगों के लिए एकजूट होकर आन्दोलन करना।

बिहार छात्र आन्दोलन

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1975 में हुआ था। 'सम्पूर्ण क्रांति' इसका प्रमुख नारा था। 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और तत्कालीन कांग्रेस को सरकार की देशव्यापी पराजय मिली थी।

महिलाओं द्वारा चलाये गये आन्दोलन

चिपको आन्दोलन

1970 के दशक में उत्तराखण्ड में महिलाओं द्वारा पेड़ों की रक्षा करने के लिए आन्दोलन किया गया, जिसमें उन्होंने पेड़ों से चिपककर अपने विरोध का प्रदर्शन किया था। इस आन्दोलन का परिणाम हुआ कि 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगी।

ताड़ी विरोधी आन्दोलन

आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गाँव में ताड़ी की बिक्री के बन्द करने का आन्दोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था। बाद में यह आन्दोलन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आन्दोलन बन गया। इसका परिणाम हुआ कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में 73वीं एवं 74वीं संशोधन हुआ।

- राजनीतिक दल देश के विकास में रचनात्मक सहयोग देते हैं।

राजनीतिक दल ऊपर लिखे गये कार्यों से लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और इसलिए ये लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। ऐसा करके ये राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

राजनीतिक दल किन चुनौतियों का सामना करती है?

- राजनीतिक दलों के भीतर सभी के विचारों को महत्व नहीं देना।
- नेतृत्व को लेकर विवाद का होना।
- राजनीतिक दल में अपने वंशज एवं परिवार के लोगों को अन्य कार्यकर्त्ताओं की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ाया जाना और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाये जाने की चेष्टा।
- पैसेवालों एवं आपराधिक छवि के लोगों का अत्यधिक महत्व
- दल एवं सिद्धान्तों को छोड़कर सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन किया जाना।

सूचना के अधिकार का आन्दोलन

1990 में राजस्थान के एक छोटे गाँव भीम तहसील से इस आन्दोलन की शुरूआत हुई। ग्रामीण बिल भुगतान की सूचना माँग रहे थे। सरकार ने इसकी सुनवाई की और कानून में परिवर्त्तन किया। यह आन्दोलन देशव्यापी हो गया जो 2005 में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम बना।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन

नर्मदा आन्दोलन का मुख्य उद्धेश्य था कि बांध बनने से गाँवों को डूब जाने के खतरों से बचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।

किसान आन्दोलन

महाराष्ट्र के शेतकारी आन्दोलन एवं किसान यूनियन ने अपनी मांगों के लिए आन्दोलन किये।

राजनीतिक दल कैसे प्रभावकारी हो सकते हैं?

- दल–बदल पर अंकुश लगाया जाना तथा इसके लिए बने कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- दल–बदल : जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है।
- अथवा– विधायिका में दल के निर्देषों के खिलाफ मत देता है या मतदान का बहिष्कार करता है और पन्द्रह दिनों के अन्दर इसके लिए दल से माफी नहीं मांगता है। तब दल विरोधी कानून के तहत इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- दलों के भीतर आपसी सहमति के साथ सभी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- गंभीर मसलों पर देश हित में सोचना एवं सुझाव देना चाहिए।

दलीय व्यवस्था के तीन रूप

एकदलीय व्यवस्था : चीन में एक ही दल है।

द्विदलीय व्यवस्था : अमेरिका एवं इंगलैंड में दो दल हैं।

बहुदलीय व्यवस्था : भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। गठबंधन की सरकार इसका उदाहरण है।

भारतवर्ष में राजनीतिक दलः राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय

राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल

लोक सभा चुनाव में तीन राज्यों में कम से कम 2% मत या विधान सभा के आम चुनाव में चार राज्यों में 6% मत प्राप्त करने वाले और 4 लोकसभा सीट प्राप्त करने वाले दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल होते हैं।

भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं चुनाव चिन्ह

दल का नाम	चुनाव चिन्ह
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	पंजा
भारतीय जनता पार्टी	कमल
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी0पी0आई0)	हंसिया–बाली
सी0 पी0 आई0 (एम)	हंसिया–हथौड़ा–तारा
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन0 सी0 पी0)	घड़ी
बसपा (बहुजन समाज पार्टी)	हाथी

राज्य स्तरीय दल

लोक सभा/विधान सभा चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% के साथ विधान सभा की कम से कम 3% सीट जीतना आवश्यक है।

राज्यस्तरीय दल एवं चुनाव चिन्ह

दल का नाम	राज्य	चुनाव चिन्ह
जनता दल (यू0)	बिहार, झारखण्ड	तीर
राष्ट्रीय जनता दल (राजद)	बिहार, झारखण्ड	लालटेन
लोक जनशक्ति पार्टी	बिहार, झारखण्ड	बंगला
भाकपा –(भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) मार्क्सवादी, लेनिनवादी	बिहार झारखण्ड, प0 बंगाल, केरल	सीढ़ी
समाजवादी पार्टी	उत्तर प्रदेश, बिहार	साईकिल

नोट : राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण भारत निर्वाचन आयोग करता है।

बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न :

1. राजनीतिक दल क्या है?
2. राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के उपाय कौन–कौन से हैं?
3. राजनीतिक दल का राष्ट्र विकास में क्या योगदान है?
4. राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। कैसे?
5. राजनीतिक दलों के कार्य का वर्णन करें।
6. राजनीतिक दल की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
7. परिवारवाद क्या है?
8. विभिन्न आन्दोलन :
   (1) सूचना का अधिकार आन्दोलन
   (2) चिपको आन्दोलन
   (3) राष्ट्र की प्रगति में महिला आन्दोलनों का योगदान।

◆◆◆

अध्याय–4

लोकतंत्र की उपलब्धियाँ

लोकतंत्र की निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ एवं विशेषताएं हैं :

1. **उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था**
   - जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का कल्याणकारी कार्यों के लिए तत्पर रहना।
   - संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर जनता के हित में कार्य करना।
   - जनता का कार्य नहीं होने की स्थिति में चुनाव में उन्हें वोट से खारिज करना।

2. **जनता का चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेना**

3. **जनता का शिक्षित होना**

4. **सामाजिक समानता**

   संविधान के तहत नागरिकों को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है जिसमें राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थल के आधार पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

5. **पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ होना**

6. **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव**

7. **सामाजिक विषमता एवं सामंजस्य**
   - आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाना।
   - मतभेदों एवं टकरावों के बीच सामंजस्य

लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है जो गैर–लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं देखने को मिलता है। अगर हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सरसरी निगाह डालें तो उपर में वर्णित उपलब्धियों को लेकर भारतीय लोकतंत्र अपनी सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है। कुछ एक बुराईयाँ–जैसे– धन–बल पर चुनाव लड़ना, अपराधी छवि वाले नेताओं की राजनीति में भागीदारी एवं परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया जाए तो लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल

1. लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है?
2. भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है?
3. भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है?

◆◆◆

अध्याय–5

लोकतंत्र की चुनौतियाँ

चुनौती क्या है?

उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन उनपर सफलता भी हासिल की जा सकती है।

विश्व की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं :

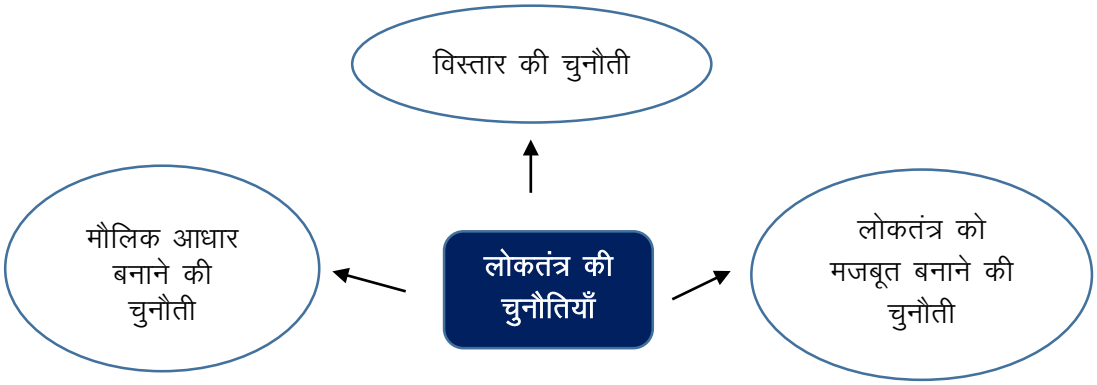

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियाँ है:

- विस्तार की चुनौती
- कार्यपद्धति / लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती।

भारतीय लोकतंत्र की अन्य प्रमुख चुनौतियाँ:

आतंकवाद :

- धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करके शासन पर अपनी माँगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना आतंकवाद है।
- सरकार का विकास से ध्यान हटकर आतंकवादी गतिविधियों पर अधिक समय तक रहना। उदाहरण– भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, मुम्बई के ताज होटल पर आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना आदि।

अलगाववाद :

- भाषा, जाति एवं नस्ल के आधार पर अलग देश की मांग करना।
- अपनी मांग को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेना। जैसे– कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग, सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग।

नक्सलवाद :

- लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखना।
- अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेना।

भ्रष्टाचार :

- सरकार द्वारा बने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक सीमित मात्रा में पहुँचना और इनका दुरूपयोग कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना। जैसे – रोजगार हेतु मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार।

कालाधन :

- सही ढंग से कमाए गए धन पर सरकार को कर नहीं देना।
- गैर–कानूनी तरीके से कमाए गए धन– रिश्वत, कालाबाजारी, तस्करी इत्यादि। इसके कारण सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं में भरपूर पैसा खर्च नहीं हो पाता है।

बेरोजगारी :

- बेरोजगार नौजवानों का शोषण अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाना।

अन्य समस्याएं :

- सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव।
- चुनाव में होने वाला अंधाधुंध खर्च।
- क्षेत्रवाद–भाषायी, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर अलग प्रवेश की मांग करना। जैसे– गुजरात में सौराष्ट्र की मांग, असम में वोडोलैन्ड की मांग आदि।
- आपराधिक छवि वाले लोगों का पार्टी में स्थान।

बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियाँ

भ्रष्टाचार :

सरकार द्वारा बने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक सीमित मात्रा में पहुँचना और इनका दुरूपयोग कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना। जैसे– वृद्धावस्था पेंशन में धांधली, मनरेगा में धांधली।

जातिवाद :

- जाति के आधार पर मतदान, एवं
- जातिगत आधार पर संघ एवं संगठन बनाना।

परिवारवाद :

बिहार में लोकतंत्र की चुनौती के रूप में परिवादवाद प्रमुख है।

- अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना।
- दलों में शीर्ष पर हमेशा एक ही परिवार के लोगों का रहना। इससे सत्ता में आम लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है। जैसे – चुनाव के टिकट बँटवारे में परिवार की प्राथमिकता, राजनीतिक पद पर नियुक्ति एवं नौकरी में भर्त्ती आदि।

राजनीतिक सुधार

राजनीतिक सुधार के लिए निम्न कार्य किये जा सकते हैं।

- देश में व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रसार।
- बेराजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था
- सामाजिक भेदभाव एवं असमानता को दूर किया जाना।
- निष्पक्ष चुनाव एवं नागरिकों की चुनाव में भागीदारी।
- राजनीतिक दलों की व्यापक भागीदारी।
- पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाकर।

विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले आम चुनाव से लेकर 16वीं लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में बढ़ी तो है लेकिन स्थिति अभी तक संतोषप्रद नहीं है। जैसे–1952 के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3% और 15वीं लोकसभा में लगभग 10% है जबकि 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 10.23% रहा है। यह महिलाओं के जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है।

बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

1. क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें।
2. आतंकवाद एवं अलगाववाद लोकतंत्र की चुनौती है स्पष्ट करें।
3. परिवारवाद एवं जातिवाद ने बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित किया है।

◆◆◆